

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2026-27

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

दिशा-निर्देश

आरएमएस 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु गिरदावरी व्यवस्था व पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05/04/2026 द्वारा जारी रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु गिरदावरी व्यवस्था व पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में जारी दिशा-निर्देश के बिंदु संख्या 04 की निरंतरता में निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं: -

“यदि किन्हीं कारणवश किसान उन्हें आवंटित तुलाई दिनांक पर क्रय केन्द्र पर उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह उसी सप्ताह या अगले सप्ताह किसी भी दिन फसल बेचान हेतु आ सकेंगे; लेकिन उनके गेहूँ की तुलाई दोपहर 3 बजे के बाद की जावेगी।”

शेष निर्देश यथावत रहेंगे | यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है |

(महावीर प्रसाद व्यास)  
उपायुक्त (पंचम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ/RSWC, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ निदेशक (आईटी), NIC प्रकोष्ठ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नाफेड/NCCF, जयपुर।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी।

